ए.सी.एस.–01

स्नातक उपाधि कार्यक्रम
(बी.डी.पी.)

सत्रीय कार्य
(2021)

पाठ्यक्रम कोड : ए.सी.एस.–01

पाठ्यक्रम शीर्षक : उपभोक्ता अध्ययन में व्यवहारमूलक पाठ्यक्रम

विधि विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–110068

उपभोक्ता अध्ययन में व्यवहारमूलक पाठ्यक्रम
(ए.सी.एस.–01)

प्रिय विद्यार्थी,

जैसा कि कार्यक्रम दर्शिका में स्पष्ट किया गया है, आपको उपभोक्ता अध्ययन में व्यवहारमूलक पाठ्यक्रम के लिए आपको दो सत्रीय कार्य करने होंगे। प्रत्येक शिक्षक सत्रीय कार्य (TMA) के 100 अंक हैं। सत्रीय कार्यों का खंडवार विवरण इस प्रकार है :

सत्रीय कार्य–1 (टी.एम.ए.) – खंड 1 से 4
सत्रीय कार्य–2 (टी.एम.ए.) – खंड 5 से 8

सत्रीय कार्य लिखने से पहले कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए निर्देशों को अवश्य पढ़ लीजिए। कार्यक्रम दर्शिका में निर्देश आपको अलग से भेजे गए हैं।

जमा करना : सत्रीय कार्य निम्नलिखित सूची के अनुसार जमा किया जाना चाहिए :

सत्रीय कार्य संख्या	जमा करने की तिथि	कहाँ भेजें
सत्रीय कार्य–1 (टी.एम.ए.)	जनवरी सत्र में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के लिए – **31 मार्च, 2021** जुलाई सत्र में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के लिए – **30 सितंबर, 2021**	आपके अध्ययन केन्द्र के समन्वयक के पास
सत्रीय कार्य–2 (टी.एम.ए.)	जनवरी सत्र में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के लिए – **31 मार्च, 2021** जुलाई सत्र में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के लिए – **30 सितंबर, 2021**	आपके अध्ययन केन्द्र के समन्वयक के पास

सत्रीय कार्य–1
टी.एम.ए.–1

पाठ्यक्रम कोड : ए.सी.एस.–01
सत्रीय कार्य कोड : एएसटी–1/टीएमए–1/2021
कुल अंक : 100

प्रत्येक श्रेणी के सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर अपने शब्दों में लिखिए।

विवरणात्मक श्रेणी प्रश्न (डी.सी.क्यू.) : इस भाग से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिखिए। (2x20=40 अंक)

1. "लोगों के बीच व्यवहार परिवर्तन का स्वरूप तथा कारणों" पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
2. आधुनिक काल में "उपभोक्ता आंदोलन" पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत छह उपभोक्ता अधिकारों का अर्थ, कार्य क्षेत्र और महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
4. "जन संचार माध्यम" की भूमिका और कार्यों पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

मध्यम श्रेणी प्रश्न (एम.सी.क्यू.) : इस भाग से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखिए। (4x10=40 अंक)

5. "बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता" की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
6. यूरोप में उपभोक्ता आंदोलन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
7. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की संकल्पना की मुख्य परिभाषाओं पर चर्चा कीजिए।
8. "भारत में उपभोक्ता शिक्षा" पर नोट लिखिए।
9. "लोक नीति और सामाजिक जवाबदेही" पर नोट लिखिए।
10. उपभोक्तावाद को बढावा देने के लिए विज्ञापन तथा अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियों के उपयोग पर चर्चा कीजिए।

लघु श्रेणी प्रश्न (एस.सी.क्यू.) : इस भाग से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। (4x5=20 अंक)

11. "उपभोक्ता कौन है" की परिभाषा दीजिए।
12. "सामाजिक पर्यावरण" पर नोट लिखिए।
13. उपभोक्ता घोषणापत्र पर नोट लिखिए।
14. सामाजिक आर्थिक कारकों पर नोट लिखिए।
15. उपभोक्ताओं के वर्गीकरण पर नोट लिखिए।
16. पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं पर संक्षेप में नोट लिखिए।

सत्रीय कार्य–2
टी.एम.ए.–2

पाठ्यक्रम कोड : ए.सी.एस.–01
सत्रीय कार्य कोड : एएसटी–2/टीएमए–2/2021
कुल अंक : 100

प्रत्येक श्रेणी के सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर अपने शब्दों में लिखिए।

विवरणात्मक श्रेणी प्रश्न (डी.सी.क्यू.) : इस भाग से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिखिए। **(2x20=40 अंक)**

1. निर्णय विधि की सहायता से "दोष" एवं "कमी" शब्दों का अर्थ तथा कार्य क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
2. मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
3. संबंधित मुकदमों की सहायता से उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए।
4. उपभोक्ता समस्याओं एवं मुद्दों से निपटने के लिए संगठनों की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

मध्यम श्रेणी प्रश्न (एम.सी.क्यू.) : इस भाग से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर लगभग 250 शब्दों में लिखिए। **(4x10=40 अंक)**

5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सीमाओं तथा इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा कीजिए।
6. रेलवे की लापरवाही के लिए उपलब्ध उपाय पर चर्चा कीजिए।
7. निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
   (क) न्यायालय आदेशों की प्रकृति।
   (ख) न्यायालय आदेशों की प्रवर्तनीयता।
8. प्रभावी अभियान एवं एडवोकेसी कार्यक्रमों की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए।
9. उपभोक्ता इंटरनेशनल की संरचना एवं उद्देश्य पर नोट लिखिए।
10. अन्य एजेंसियों के साथ कंज्युमर इंटरनेशनल की समन्वय गतिविधियों पर चर्चा कीजिए।

लघु श्रेणी प्रश्न (एस.सी.क्यू.) : इस भाग से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। **(4x5=20 अंक)**

11. वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
12. संबंधित मुकदमों की सहायता से उपभोक्ता अधिकारों के विस्तार पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।
13. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।
14. उपभोक्ता संरक्षण परिषदों पर टिप्पणी लिखिए।
15. निर्माता/उत्पादकों के विरूध शिकायतों के निपटान में सरकारी एजेंसियों की भूमिका पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए।
16. संगठन के प्रबंधन में क्रमवार दृष्टिकोण पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।